

आदेश

कार्यवाही विवरण

6) पाठ

पञ्चावली जैसे हुई। वादी एवं वादी का विवरण को
 न्यायालय समय तक बार-बार आता न
 जाई, मरनु शरी और से कोई भी उपस्थित
 हो से वाद वादी अदम दायरी एवं पेशी से
 खासि किया जाता है। पञ्चावली पेशस सुमा
 दोठर दम नम्बर से कम हो तथा वाद लकी
 आसा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)

न्यायालय

